

दिनांक 30/5/23 को पेश हो।

30/5/23 फरावली पेश हुई। कमुलाय फारिसेन-
अनुपस्थित। मूल वाद अदम हाजरी - अदम पैरवी - में खारिज
निपाजपा है। प्रार्थना फर 212 का कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्रार्थना फर 212 आदेश दिनांक 22/11/19 को इसी
तर पर अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज निपाजपा है
फरावली नम्बर से कम है। वाद पूर्ण मूल कद से साथ
संलग्न रहे। (निपाजपा)।

कलेक्टर
बहादुर (अदम) राज.